e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या : 03 / भू0अ0नि0 (3) विविध– 06 / 2022 1202 पटना, दिनांक : 12/5/2022

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक– 2587 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा श्री आनन्द कुमार, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध प्राप्त अपील अभ्यावेदन की सुनवाई बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 की कंडिका–8 (4) के आलोक में की गई।

आरोपित से संबंधित संचिका में रक्षित अभिलेख यथा– साक्ष्य प्रदर्श आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित को बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–495 दिनांक 07.08.2021 के अनुशंसा के आलोक में इन्हें अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 04.08.2021 को लखीसराय बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविर निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाया गया है। इस अनुपस्थिति के लिये अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि अपर मुख्य सचिव के निरीक्षण के कार्यक्रम का निर्धारण 04.08.2021 को हुई थी, जिसकी सूचना 03.08.2021 के संध्या 5.35 बजे अपलोड किया गया। इनके द्वारा आगे अंकित किया गया है कि इनका अवकाश दिनांक 02.08.2021 को ही शिविर प्रभारी से स्वीकृत करा लिये थे। WhatsApp Group के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर शिविर प्रभारी से मौखिक वार्ता हुई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आप अवकाश में हैं, शिविर आने की आवश्यकता नहीं है। इनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि जिस पत्रांक दिनांक यथा– 48 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा इनका अवकाश रद्द किया गया था, उसकी सूचना उन्हें प्राप्त नहीं करायी गई थी। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में यह भी अंकित किया गया है कि भविष्य में इनके द्वारा कभी भी वरीय पदाधिकारी के आगमन की सूचना किसी माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने का उल्लेख किया गया है।

अपील अभ्यावेदन में उठाये गए बिन्दु एवं निदेशक द्वारा पारित आदेश का गहनतापूर्वक विवेचना किया गया। विवेचनोपरांत पाता हूं कि निदेशक द्वारा मात्र कर्तव्य पर अनुपस्थिति के लिये सेवा समाप्ति जैसा आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों एवं इनकी क्षमा याचना तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने के आश्वासन के दृष्टिगत इन्हें एक बार मौका देते हुए निदेशक द्वारा पारित आदेश 2587 दिनांक 27.08.2021 को रद्द किया जाता है एवं पुनः सेवा में लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

ह0 / –
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कृ0पृ0उ0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (3) विविध– 06 / 2022 ......1202...... पटना, दिनांक : 12/5/2022
प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (3) विविध– 06 / 2022 ......1202...... पटना, दिनांक : 12/5/2022
प्रतिलिपि : श्री आनन्द कुमार, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन (ID No.-AEN04204) E-mail ak553306@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (3) विविध– 06 / 2022 ......1202...... पटना, दिनांक : 12/5/2022
प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप